भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 2822**

दिनांक 10 जुलाई, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए

जैविक चाय की खेती

2822. श्री प्रद्युत बोरदोलोईः

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारतीय चाय बोर्ड का देश में जैविक चाय की खेती के प्रोत्साहन और विकास के लिए प्राथमिकता देने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर राज्यों, विशेषकर असम राज्य की जलवायु जैविक चाय की खेती के लिए सर्वोत्तम है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय चाय बोर्ड ने प्रमाणीकरण आदि को सरल बनाकर, असम में जैविक चाय की खेती के प्रोत्साहन हेतु कोई कार्रवाई की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और असम के चाय किसानों/चाय बागानों को कितने लाइसेंस जारी किए गए हैं और गत तीन वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में जैविक चाय की खेती के प्रोत्साहन हेतु राज्य–वार कितनी निधि आबंटित की गई है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क) जी हां। चाय बोर्ड ने देश में जैविक चाय की खेती के संर्वधन और विकास के लिए चाय विकास और संवर्धन स्कीम(टीडी एंड पीएस) के तहत उचित प्राथमिकता दी है। किए गए कार्य और दी गई सहायता का विवरण निम्नलिखित सारणी में दिया गया है।

क्र.सं.	कार्य	सहायता
1.	जैविक प्रमाणन (बागान)	प्रति प्रमाणपत्र 2 लाख रुपये की अधिकतम सीमा के साथ नवीकरणों सहित प्रमाणन की लागत का 50%
2.	जैविक प्रमाणन (फैक्टरी)	प्रति वित्तीय वर्ष प्रति फैक्टरी 2 लाख रुपये की अधिकतम सीमा के साथ प्रमाणपत्र की लागत का 50%
3.	जैविक रूपांतरण	छोटे चाय उपजकर्ताओं के लिए प्रति हेक्टेयर 2.00 लाख रुपये

स्रोत: चाय बोर्ड

(ख): पूर्वोत्तर क्षेत्र, विशेष रूप से असम राज्य की मृदा एवं जलवायु चाय की खेती करने के लिए काफी अनुकूल है। पूर्वोत्तर राज्यों में जैविक खेती का राज्य-वार विवरण निम्नलिखित सारणी में दिया गया है:

क्रम सं	राज्य	जैविक चाय बागानों और छोटी जोतों की संख्या	जोतों का क्षेत्र (हेक्टेयर)
1	असम	45	3439.87
2	मिजोरम	3	74.00
3	नागालैंड	3	67.90
4	त्रिपुरा	15	93.56
5	मेघालय	3	62.47
	कुल	69	3737.80

स्रोत: चाय बोर्ड

(ग) और (घ): चाय बोर्ड चाय विकास और संवर्धन स्कीम के तहत जैविक चाय के संर्वधन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है । जैविक खेती में रूपांतरण के लिए छोटे चाय उपजकर्ताओं को 2.00 लाख रूपये प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पिछले 03 वर्षों के दौरान राज्य वार विवरण निम्नलिखित सारणी में दिया गया है:

टीडी एंड पी एस स्कीम के तहत वित्तीय सहायता				
राज्य	वर्ष	कार्य	भौतिक	वित्तीय (लाख रु0 में)
असम	2016-17	जैविक बागानों में पुनर्रोपण	1 बागान	1.02
		जैविक बागानों को परंपरागत राजसहायता	3 बागान	7.44
	2017-18	जैविक बागानों में पुनर्रोपण	3.17 हे	4.71
		जैविक बागानों को परंपरागत राजसहायता	5 बागान	17.33
	2018-19	जैविक बागान में पुनर्रोपण	17.04 हेक्टेयर	47.68
		जैविक बागानों को परंपरागत राजसहायता	2 बागान	9.41
		जैविक लघु चाय फैक्टरी की स्थापना	1 फैक्टरी	11.73
		जैविक बड़ी चाय फैक्टरी की स्थापना	1 फैक्टरी	143.56

		जैविक चाय बागान के लिए संवर्धनात्मक कार्यक्रम	1 कार्यक्रम	0.50
		जैविक स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) (22 सदस्य)	1 एसएचजी	7.25
त्रिपुरा	2018-19	जैविक प्रमाणन	1 बागान	0.08
			कुल	**250.70**
नियंत्रण आदेश के तहत जारी पंजीकरण / प्रमाणपत्र				
असम	2016-17	जैविक बड़ी चाय फैक्टरी की स्थापना	1 फैक्टरी	पंजीकरण जारी किया
मेघालय	2018-19	जैविक लघु चाय फैक्टरी की स्थापना	1 फैक्टरी	प्रमाणपत्र जारी किया गया
			कुल = २	

*दूसरी किस्त।

स्रोत: चाय बोर्ड